

फर्द अहकाम

( नियम 26)

अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम

चित्तौड़गढ़ ( राज.)

राम

बनाम

रामपुत्र

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

418/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>राम</u>  <u>पत्नी</u> श्री <u>हीरा जी भोई</u></p> <p>निवासी- <u>बस्ती</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम  <u>बस्ती</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर... <u>802 मी. 803,</u>  <u>805 मी., 806 मी., 807 मी., 809 मी., 810 मी.; 811 मी.</u></p> <p>कुल कीता <u>08</u> कुल रकबा <u>1.1700</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>बस्ती (तह. बस्ती)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>802 मी., 803, 805 मी., 806 मी., 807 मी., 809 मी., 810 मी., 811 मी.</u></p> <p>कुल कीता <u>08</u> रकबा <u>1.1700</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1.000/-</u> 00 रूपये अक्षरे <u>एक हजार रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(नीचे दस्तावेज)  <b>सहायक कलक्टर एवं</b>  <b>उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>चित्तौड़गढ़ (राज.)</b></p>